लोक सभा

आतारांकित प्रश्न संख्या 75

दिनांक 21.06.2019 को उत्तर दिये जाने के लिये

सामान्य सुविधा केन्द्र

75. श्री डी. के. सुरेश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कर्नाटक में चन्नपटना सहित लाखनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारीगरों के उपयोग हेतु आधुनिक मशीनरी के साथ सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कारीगरों के उपयोग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों पर प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधि आबंटित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) एवं (ख): जी हां महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की मेगा कलस्टर स्कीम के तहत देश के विभिन्न भागों में लाखनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारीगरों के उपयोग हेतु आधुनिक मशीनरी के साथ 4 सामान्य सुविधा केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। लाखनिर्मित वस्तु शिल्प में सामान्य सुविधा केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) कर्नाटक राज्य के चन्नपटना में सामान्य सुविधा केन्द्र: ज़मीन की पहचान कर ली गई है और सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए भवन के निर्माण हेतु इसे कब्ज़े में ले लिया गया है। कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम (केएसएचडीसी) को प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।

(ii) तेलंगाना के बोंथापल्ली में सामान्य सुविधा केन्द्र: ज़मीन की पहचान कर ली गई है और सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए भवन के निर्माण हेतु इसे कब्ज़े में ले लिया गया है। तेलंगाना राज्य हस्तशिल्प विकास निगम (टीएसएचडीसी) को प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।

(iii) आंध्र प्रदेश के इटिकोप्पका, विशाखापट्नम में सामान्य सुविधा केन्द्र:- संबंधित निगम द्वारा भवन की पहचान कर ली गई है। आंध्र प्रदेश राज्य हस्तशिल्प विकास निगम (एपीएसएचसी) को प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।

(iv) तमिलनाडु के तिरुनेलवली जिले के अंबासमुद्रम में सामान्य सुविधा केन्द्र: तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम (टीएनएसएचडीसी) को प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। सामान्य सुविधा केन्द्र के भवन का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ग), (घ) एवं (ङ.): सामान्य सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण होने पर इन्हें कारीगरों के सामान्य उपयोग के लिए कारीगर संघों को सौंप दिया जाएगा| इसके अलावा संबंधित संघों द्वारा आवश्यकतानुसार मशीनों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और आधुनिक मशीनरी को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

****